पत्रांक—03 / वि0—18—12 / 2015 1586 / न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

।। अधिसूचना ।।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के राजपत्र सं—G.S.R 320 (E) दिनांक—18.03.2016 के द्वारा अधिसूचित संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम—2016 के कंडिका—16 में अंकित प्रावधानों के अधीन प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति (SLAC) का गठन किया जाता है, जो निम्नवत् है:—

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1	प्रधान सचिव / सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	अध्यक्ष
2	राज्य पर्यावरण विभाग के अपर सचिव	सदस्य
3	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव	सदस्य
4	नगर आयुक्त, पटना नगर निगम	सदस्य
5	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर / अथवा नगर पंचायत बोधगया	सदस्य
6	प्रधान सचिव, वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग / GST/अथवा अधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य
7	बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष	सदस्य
8	प्रतिनिधि, सेन्टर ऑफ साईस एवं इन्वायरमेंट दिल्ली	सदस्य
9	प्रतिनिधि प्लास्टिक संघ, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन	सदस्य
10	प्रतिनिध आगा खान फाउण्डेशन, बिहार	सदस्य
11	प्रतिनिधि, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑट टेक्नोलॉजी पटना / भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान पटना।	सदस्य
12	निदेशक, नगरपालिका प्रशासन, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार।	संयोजक

1. गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम—2016 के क्रियान्वयन का आवश्यकतानुसार समीक्षा करेंगी।
2. गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम—2016 के क्रियान्वयन एवं प्लास्टिक प्रबंधन हेतु राज्य सरकार की कार्य नीति तैयार कराने के लिए राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा प्रेषित करेगी।
3. उक्त गठित समिति की बैठक छह माह में कम—से—कम एक बार अवश्य होगी। यदि समिति आवश्यकता समझती है तो विशेषज्ञों को आहुत बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेगी।
4. राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की समीक्षा प्रतिवेदन / कार्यवाही की प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना को अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जायेगा।
5. प्रश्नगत मामले पर पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना / आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन,
3/7/2018
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–03/वि0–18–12/2015 1586 दिनांक–05/07/18
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/7/2018
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–03/वि0–18–12/2015 1586 दिनांक–05/07/18
प्रतिलिपिः–सभी संबधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/7/2018
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–03/वि0–18–12/2015 1586 दिनांक–05/07/18
प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार/सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3/7/2018
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–03/वि0–18–12/2015 1586 दिनांक–05/07/18
प्रतिलिपिः–सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

3/7/2018
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–03/वि0–18–12/2015 1586 दिनांक– 05/07/18
प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग/मुख्य सचिव, बिहार/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

3/7/2018
प्रधान सचिव।